

कार्यालय-निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

- कार्यालय आदेश -


राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 56 (क) एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1 (6) वित्त / नियम / 98 दिनांक 28.12.98 एवं दिनांक 24.05.04 एवं प.6) / वित्त / नियम / 2008 जयपुर दिनांक 24.03.15 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत निम्नांकित निजी सहायक द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित दिनांक से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र.सं.	नाम सर्वश्री	पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	सेवा निवृत्ति दिनांक
1	हरि प्रसाद पारीक	निजी सहायक	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर	01.07.1961	30.06.2021

प्रारूप -6

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित निजी सहायक के विरुद्ध आज तक-

1. राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/अधीन नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक 03/4

क्रमांक - शिविरा/माध्य/साप्र/3104/सेवानिवृत्ति/2021-22 /168
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जयपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर।
4. सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड वावत
5. अनुभाग अधिकारी, डीपीसी अनुभाग।
6. श्री हरि प्रसाद पारीक, निजी सहायक।
7. गार्ड पंजिका/निजी पंजिका।


उप निदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर